

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक: 8269 / यू.पी.रेरा / विधि प्रकोष्ठ./2021-22

दिनांक 11 सितम्बर, 2021

प्रेषक,

आनन्द शुक्ला,
विधि सलाहकार/नोडल अधिकारी लोक अदालत,
उ0प्र0 रेरा।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी,
तृतीय तल, जवाहर भवन,
लखनऊ।
ई-मेल- upslsa@up.nic.in

विषय:- पत्रांक-574/SLSA-07/2021(Ri/Saran) दिनांक 08-03-2021 में दिये हुए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके पत्रांक-574/SLSA-07/2021(Ri/Saran) दिनांक 08-03-2021 के माध्यम से उ0प्र0 रेरा को दिनांक 11-09-2021 को "राष्ट्रीय लोक अदालत" आयोजित करने के दिशा निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त पत्र में दिये हुए दिशा निर्देश के अनुपालन में उ0प्र0 रेरा द्वारा अपने मुख्यालय लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नौएडा में ऑनलाईन माध्यम से "राष्ट्रीय लोक अदालत" का आयोजन कराया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापित पीठों द्वारा रेरा अधिनियम 2016 की धारा 31 तथा 63 के अन्तर्गत नियत प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कन्सीलिएटर ने उनके समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किये गये प्रकरणों की सुनवाई की गई।

राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत तथा निस्तारित किये गये प्रकरण की सूची निम्नवत

है:-



S. no.	Nature of Cases	Cases Fixed in Lok Adalat	Cases Dispose in Lok Adalat	Amount Settled
1.	Disposal of complaints Filed under Section 31 of RERA Act	45	42	8,40,37,404
2.	Disposal of Application Filed under Section 63 of RERA Act	10	09	3,87,39,535
3.	Disposal through Concilliation Forum	26	24	7,54,40,122
	Total	81	75	19,82,17,061

आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

o/c Anand Shukla
 (आनन्द शुक्ला) 11/9/2021
 विधि सलाहकार उ०प्र० रेरा/
 नोडल अधिकारी लोक अदालत।